

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस
खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओउप०
आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री अरुण
श्रीवास्तव उप०

फरियादी गुडियावानो उप०
इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा डॉकेट
राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे
अमिलेख पर लिया गया। फरियादी गुडियावानो की
पहचान अधि०श्री पी०एन०भटेले द्वारा की गई है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी छोटू के विरुद्ध भादस की धारा

Order Sheet (Contd.)

II-158
C.J.(E)

Witness No.

Description Sheet No.

9-81 700372/16 Ret

294,323 एवं 506 भाग-2 एवं आरोपीगण अन्नो एवं शम्भो के विरुद्ध भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी छोटे को भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 एवं आरोपी शम्भो एवं अन्नो को भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य क.1-

क.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्र024 गोहद
जिला मिण्ड म0प्र0